



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 448 राँची, सोमवार, 17 आषाढ़, 1946 (श०)
8 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

30 मई, 2024

संचिका संख्या-4/न्यायालय-1006/2014 का.3664--W.P.(S) No- 454/2014 सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25.07.2019 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

Be that as it may, the case of the petitioner needs to be considered by the respondents in view of Kalawadhi. The case of the petitioner was required to be considered three years earlier whereas the petitioner's case has been considered later on. Accordingly, the matter is remitted back to Respondent No.2 who will take appropriate steps so that the case of the petitioner may be considered at an early date. The Respondent No. 2 will ensure that the case of the petitioner be placed before the ensuing D.P.C. for consideration on the promotional post with effect from the date the petitioner has prayed in the writ petition."

2. उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-25.07.2019 को पारित न्यायादेश में याचिकाकर्ता के मामले को कालावधि में विहित प्रावधानों के आलोक में विचारण हेतु वापस किया गया है तथा याचिकाकर्ता द्वारा याचित तिथि दिनांक-05.06.2013 से प्रोन्नति का लाभ स्वीकृत करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष इनके मामले को रखने का निदेश दिया गया ।

3. याचिकाकर्ता श्री सदन प्रसाद द्वारा कालावधि सम्बन्धी निर्गत संकल्प संख्या-398 दिनांक-16.01.2012 के द्वारा प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि में छूट सम्बन्धी प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति का दावा किया गया है । उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि पूरा नहीं हो सकने की स्थिति में जहाँ रिक्ति उपलब्ध हो वहाँ कालावधि में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

4. याचिका संख्या WP(S) No.- 454/2014- सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड, उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-25.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची से परामर्श प्राप्त करते हुए उक्त पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में पुनर्विचार याचिक LPA No.-778/2019 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम सदन प्रसाद दायर किया गया ।

5. विभाग द्वारा LPA No.-778/2019 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम सदन प्रसाद दायर किये जाने की सूचना श्री सदन प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक-192 दिनांक-09.01.2020 द्वारा दी गई। LPA No.-778/2019 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम सदन प्रसाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-10.11.2022 को पारित अपने न्यायादेश में एकल पीठ के आदेश को त्रुटि रहित बताते हुए LPA को खारिज किया गया ।

6. W.P.(S) No. 454/2014 सदन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25.07.2019 को पारित न्यायादेश तथा L.P.A. No. 778/2019 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम सदन प्रसाद में दिनांक-10.11.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक- 21.05.2024 को सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री प्रसाद को दिनांक-05.06.2013 के भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान किये जाने के मामले को विचारार्थ रखा गया ।

7. दिनांक-21.05.2024 को सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्री प्रसाद को दिनांक-05.06.2013 के भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

(क) झारखण्ड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के अनुसार झारखण्ड सचिवालय सेवा के विभिन्न प्रोन्नत पद सोपानों में प्रोन्नति के संबंध में विचारण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या- 5161 दिनांक-25.09.2008 में विहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1020 दिनांक- 28.02.2011 द्वारा प्रोन्नति समिति का गठन किया गया ।

- (ख) उक्त के क्रम में झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक-8871 दिनांक-07.09.2013 द्वारा विचारण क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कुल 66 पदाधिकारियों की तैयार विचारण सूची एवं अन्य सूचना संलग्न करते हुए अध्यक्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने निमित्त तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया ।

प्रशाखा पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति निमित्त कुल 66 पदधारकों की तैयार किए गये विचारण सूची में क्रम संख्या-25 पर श्री सदन प्रसाद का नाम अंकित है ।

- (ग) प्रशाखा पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत किए जाने सम्बन्धी प्रेषित किए गए उक्त प्रस्ताव को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3465, दिनांक-07.10.2013 द्वारा उक्त प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 320 (3 (ख)) के अनुरूप प्रतीत नहीं होने के आलोक में कतिपय निदेशों के साथ वापस कर दिया गया ।
- (घ) तदोपरांत वर्णित मामले में विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता राँची से प्राप्त परामर्श एवं माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन सम्बन्धी पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1020 दिनांक-28.02.2011 का आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-2183, दिनांक-04.03.2014 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद के अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया गया ।

8. सदस्य, राजस्व पर्षद के अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन के पश्चात झारखण्ड सचिवालय सेवा अन्तर्गत प्रशाखा पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक-13.03.2014 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें प्रोन्नति समिति द्वारा कालावधि सम्बन्धि निर्गत प्रावधान के आलोक में कालावधि में छूट देते हुए पदधारकों को प्रोन्नति के योग्य अनुशंसित किया गया ।

उक्त कार्रवाई के मध्य में ही श्री सदन प्रसाद दिनांक 31.01.2014 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्त हो गये, जिसके कारण उक्त तिथि को श्री प्रसाद का मामला विचारण सूची में सम्मिलित नहीं किया गया ।

9 उल्लेखनीय है कि किसी भी संवर्ग में प्रोन्नति उस संवर्ग में उपलब्ध रिक्ति एवं उक्त अवधि में कार्यरत पदधारकों की उपयुक्ता/वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर दी जाती है। याचिकाकर्ता श्री प्रसाद प्रशाखा पदाधिकारी कोटि से अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक-13.03.2014 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के पूर्व ही दिनांक-31.01.2014 को सेवानिवृत्त हुए हैं फलतः उनकी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया गया ।

10 सम्यक विचारोपरान्त सदस्य, राजस्व पर्षद के अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक-21.05.2024 को सम्पन्न बैठक द्वारा श्री सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची के दिनांक-13.03.2014 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के पूर्व ही दिनांक-31.01.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (पी. बी. II. पे. बैंड रु० 9300-34800/- ग्रेड पे. रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) से अवर सचिव (पी०बी०-III, पे० बैंड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11) कोटि में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आदेश के आलोक में उनके द्वारा याचित तिथि दिनांक-05.06.2013 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

11. इसे पूर्वोद्धारण नहीं समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज
सरकार के उप सचिव ।
